मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 25/45/99/पी.डब्ल्यू.सी./चार

भोपाल, दिनांक 10-9-99

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
3. समस्त संभागीय आयुक्त,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. समस्त जिलाध्यक्ष,

मध्यप्रदेश।

विषय :—शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिये अनुग्रह राशि (अनुदान) स्वीकृत करना।

दिनांक 1-1-1986 से पुनरीक्षित वेतनमान में, शासकीय सेवा में रहते हुए किसी सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. डी-194/2547/87/नि-2/चार दिनांक 27-2-1988 के अनुसार छः माह के वेतन के बराबर तथा अधिकतम रुपये 15,000/- की सीमा तक अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है।

2. म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 दिनांक 1-1-1996 से प्रभावशील होने के फलस्वरूप शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को, मृतक शासकीय कर्मचारी के मूल वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन (यदि कोई हो, तो) के छः गुना के बराबर अधिकतम रु. 25,000/- (पच्चीस हजार) की सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाए।

3. अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य सभी शर्ते यथावत् प्रभावशील रहेंगी। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

पृ. क्रमांक एफ.-25/45//99/पी. डब्ल्यू.सी/चार,

भोपाल, दिनांक 10-9-99

प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
3. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल।
4. अवर सचिव (स्थापना)/अधीक्षण, मध्यप्रदेश मंत्रालय।
5. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल।
6. लोकायुक्त के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त वित्त अधिकारी/कोषालय अधिकारी/लेखाधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, म. प्र. भोपाल।
9. महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (ए. एण्ड ई.) तथा महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (ऑडिट) म. प्र. ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
10. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
11. रजिस्ट्रार, म. प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
12. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी संघ, म. प्र.।
13. पेंशनर कल्याण मण्डल के समस्त सदस्य।

(एम. पी. व्यास)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग